

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(80)न्याय/2015


जयपुर, दिनांक 25.5.17

::आज्ञा::

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा संवर्ग के निम्नांकित कनिष्ठ विधि अधिकारीगण को उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: स.3(2)(04)स्था/अ.अ.अधि/अभि/16/8308-8668 दिनांक 23.05.2017 के क्रम में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु दिनांक 25.05.2017 को मध्याह्न पश्चात् संबंधित विभाग को इन्हें कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	पदस्थापन स्थान
1.	राकेश कुमार जांगिड	गृह रक्षा विभाग, जयपुर
2.	कमल कान्त शर्मा	वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3.	ईला गिरी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर
4.	अजय कुमार	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्भाग-द्वितीय, जयपुर
5.	महेन्द्र कुमार जौलिया	कार्यालय नगर परिषद् सवाईमाधोपुर
6.	गगनदीप ग्रोवर	कार्यालय जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

उक्त कनिष्ठ विधि अधिकारीगण को स्थायी नहीं किया गया है। अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 15 के अनुसार उक्त कार्मिकों का इस विभाग में लियन नहीं रखा जाएगा।


(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव